

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./2021/186

दिनांक :-12.09.22

-:कार्यालय आदेश:-

संयुक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग का पत्र क्रमांक : प. 19(4)शिक्षा-2/2019 पार्ट जयपुर दिनांक : 26.08.2022 की पालना में निम्नलिखित कार्मिकों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय/ छात्रावासों में "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है -

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पद एवं आवासीय विद्यालय/ आश्रम छात्रावास का विवरण	
1.	श्री अभिषेक सिंह	कनिष्ठ सहायक	राउमावि. भवाद, पं.स. बावड़ी, जोधपुर (219742)	कनिष्ठ सहायक	आवासीय विद्यालय जोधपुर, जिला जोधपुर
2.	श्री प्रमोद सेन	कनिष्ठ सहायक	राउमावि. देवला, धारियावाद, प्रतापगढ़ (224770)	कनिष्ठ सहायक	ईएमआरएस, पांचागुडा, प्रतापगढ़
3.	प्रेरणा यादव	कनिष्ठ सहायक	राउमावि. खराबड़, कोटा (216672)	कनिष्ठ सहायक	बालक आवासीय विद्यालय कोयला, बारां
4.	प्रतीक पण्डया	कनिष्ठ सहायक	राउमावि. डूंगर, चिखली, डूंगरपुर (223077)	कनिष्ठ सहायक	ईएमआरएस, पारडा चुण्डावत, डूंगरपुर
5.	श्री कृष्णपाल सिंह चौहान	कनिष्ठ सहायक	राउमावि. चिरावाला गढा, बांसवाड़ा (223733)	कनिष्ठ सहायक	ईएमआरएस परखेला, गढी, बांसवाड़ा

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र/सी/5522/सामा.प्रति./2021/186

दिनांक :-12.09.22

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि. जोधपुर/प्रतापगढ़/कोटा/डूंगरपुर/बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास के लिये कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
4. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाप्रधान।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त, निदेशक) मा.शि., कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

(दयाशंकर अरड़ावतिया)
उप निदेशक(प्रशासन)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर